

(8) All communications relating to the working and discharge of the functions of the Selection Committee shall be addressed to the Office of the Member Secretary, who shall place the same before the Selection Committee.

(9) All records relating to selection shall be placed on the website of the State Government Department concerned.

88. Selection of Chairperson and Members of the Committee or Board.

(1) The Member Secretary of the Selection Committee shall initiate the process of filling up a vacancy six months prior to the incumbent demitting office:

Provided that if a vacancy arises on account of resignation or death of the Chairperson of the Committee or a Member of the Board or Committee the Member Secretary of the Selection Committee shall immediately initiate the process for filling up such vacancy.

(2) For selection of members of the Board or Chairperson and members of the Committee, the State Government through the Member Secretary of the Selection Committee shall call for applications through public advertisement in the local and national newspapers and official website of the Department implementing the Act.

(3) The Member Secretary shall screen all the applications received and place the applications which fulfil the basic eligibility requirements before the Selection Committee.

(4) The Selection Committee shall evaluate the candidates on the basis of qualifications, experience of working with children and personal interaction with the candidate.

(5) A member selected by the Selection Committee should not:

- be holding such full-time occupation that may not allow the person to give necessary time and attention to the work of the Board or the Committee as per the Act and rules;
- be associated with any Child Care Institution, directly or indirectly, during his tenure as a member of the Board or Committee or have any other conflict of interest.
- hold any office in any political party during his tenure, or
- be insolvent.

(6) Where the Selection Committee is required to consider an application for renewal of tenure of Members of the Board or Committee as the case may be, it shall evaluate the application on the basis of the following criteria, namely:

- regular performance appraisals of the Member carried out by the District Judge or District Magistrate quarterly as per a specified format, a copy of which shall be made available to the Chairperson and Members of the Selection Committee by the Member Secretary;
- complaints if any, received and addressed by the Selection Committee against the person seeking an extension of tenure; and
- interaction with such applicant.

(8) चयन समिति के कार्यकरण और कार्यों के निष्पादन से संबंधित सभी पत्राचार सदस्य सचिव के कार्यालय को संबोधित किए जाएंगे जो उन्हें चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(9) चयन से संबंधित सभी अभिलेख संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट पर डाले जाएंगे।

88. समिति और बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन.— (1) सदस्य सचिव पदधारी द्वारा पदभार छोड़ने के छह मास पहले से रिक्त होने वाले पद को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगा :

परंतु यदि पद समिति के अध्यक्ष या बोर्ड या समिति के सदस्य द्वारा त्याग पत्र देने या उसकी मृत्यु होने के कारण रिक्त होता है तो चयन समिति का सदस्य सचिव ऐसे रिक्त पद को भरने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करेगा।

(2) बोर्ड के सदस्यों या समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए, राज्य सरकार चयन समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में और अधिनियम का कार्यान्वयन करने वाले विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगी।

(3) सदस्य सचिव प्राप्त हुए सभी आवेदनों की संवैक्षा करेगा और उन आवेदनों को जो पात्रता की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(4) चयन समिति योग्यता, बालकों के साथ कार्य करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगी।

(5) चयन समिति द्वारा चयनित सदस्य :

- ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए, जो अधिनियम और इन नियमों के अनुसार बोर्ड या समिति के कार्य के लिए व्यक्ति को आवश्यक समय और ध्यान देने की अनुमति न देता हो;
- बोर्ड या समिति के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा न हो;
- अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक पद का पदाधिकारी न हो;
- दिवालिया न हो।

(6) जिस मामले में चयन समिति को यथास्थिति बोर्ड या समिति के सदस्यों के कार्यकाल के नवीकरण के आवेदन पर विचार करने की आवश्यकता हो, उस मामले में चयन समिति आगे दर्शाए गए मानदंडों के आधार पर आवेदन का मूल्यांकन करेगी, अर्थात् :

- विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार जिला न्यायाधीश या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए सदस्य के नियमित तिमाही निष्पादन मूल्यांकन, जिनकी प्रति सदस्य सचिव द्वारा चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी;
- कार्यकाल के विस्तार का आवेदन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध चयन समिति को यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई हो तो वह शिकायत; और
- ऐसे आवेदक के साथ विचार-विमर्श।

(7) The Selection Committee shall, on the basis of the evaluation procedure and criteria, select and recommend a panel of names in order of merit to the State Government for appointment as Members of the Board or Chairperson or Members of the Committee as the case may be.

(8) In recommending a panel of names, the Selection Committee shall prepare separate panels for the position of Chairperson of the Committee, Members of the Committee and Members of the Board respectively.

(9) The Selection Committee shall prepare a three member panel for each position, which shall be valid for a period of one year.

(10) The list of finalised names shall be duly signed by all members of the Selection Committee present at the time of selection and the Member Secretary of the Selection Committee shall forward the finalised list to the State Government for appointment. The State Government shall constitute one or more Boards or Committees, as the case may be, in each district through notification in Official Gazette within a period of two months of receipt of recommendations of Selection Committee.

(11) Names on the panel shall be valid for consideration for a period of one year which may be extended by six months where a new panel has not yet been constituted, in order to fill in vacancies which may arise during such period either due to non-reporting of the selected persons within a stipulated time from the date of appointment, or otherwise during the tenure of the Board or Committee.

(12) If a vacancy in the Board or Committee arises, the District Child Protection Unit shall inform the State Government for filling up such vacancy.

(13) The State Government shall fill the vacancies on the basis of the panel of names recommended by the Selection Committee within a period of three months from receiving such information from the District Child Protection Unit.

(14) If any complaint is made against a member of the Board or Committee, the State Government shall hold necessary inquiry except in respect of judicial officers; complaints against judicial officers shall be forwarded to the Registrar of the High Court for action.

(15) The State Government shall complete the inquiry within a period of one month and take appropriate action within two months.

(16) If a criminal case is registered against the person concerned, Government may suspend the appointment for such term as appropriate after due inquiry.

89. Training of Personnel Dealing with Children.—(1) The State Government shall provide for training of personnel appointed under the Act and the rules and each category of staff, keeping in view with their statutory responsibilities and specific jobs requirements.

(2) The training programme shall include:

- introduction of the Act and the rules made thereunder;
- orientation on child welfare, care, protection and child rights;
- induction training of the newly recruited personnel;
- refresher training courses and skill enhancement programmes, documentation and sharing of good practices; and

(7) चयन समिति बोर्ड के सदस्यों या समिति के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए, जैसा भी मामला हो, मूल्यांकन प्रक्रिया और मानदंडों के आधार पर पैनल में से नामों का चयन और सिफारिश राज्य सरकार को करेगी।

(8) नामों के पैनल की सिफारिश करते समय चयन समिति समिति के अध्यक्ष, समिति के सदस्यों और बोर्ड के सदस्यों के पदों के लिए अलग-अलग पैनल तैयार करेगी।

(9) चयन समिति प्रत्येक पद के लिए तीन नामों का पैनल तैयार करेगी, जोकि एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

(10) अंतिम रूप से निर्धारित नामों की सूची पर चयन के समय मौजूद चयन समिति के सभी सदस्य विधिवत हस्ताक्षर करेंगे और सदस्य सचिव अंतिम रूप से तैयार सूची को नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को भेजेंगे। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में यथास्थिति एक या एक से अधिक बोर्डों या समितियों का गठन चयन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करेगी।

(11) ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए, जो ऐसी अवधि में बोर्ड या समिति के कार्यकाल के दौरान या तो चयनित व्यक्तियों द्वारा नियुक्ति की तारीख से निर्धारित समय के भीतर उपस्थित नहीं होने के कारण या अन्यथा रिक्त पदों को भरने के लिए नामों पर विचार करने के लिए पैनल में दिए गए नाम एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे जिसे छह मास की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा जहां पर नया पैनल उस समय तक तैयार नहीं किया गया है।

(12) यदि बोर्ड या समिति में कोई पद रिक्त होता है, जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे रिक्त पद को भरने के लिए राज्य सरकार को सूचित करेगी।

(13) राज्य सरकार जिला बाल संरक्षण इकाई से ऐसी सूचना प्राप्त होने के तीन मास की अवधि के भीतर चयन समिति द्वारा अनुशंसा किए गए नामों के पैनल के आधार पर रिक्त पदों को भरेगी।

(14) यदि बोर्ड या समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत की जाती है, तो राज्य सरकार, न्यायिक अधिकारियों से संबंधित शिकायतों के अलावा, आवश्यक जांच करायेंगी; न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें कार्रवाई के लिए उच्च न्यायालय के रिजिस्ट्रार को अग्रपिप्त की जाएंगी।

(15) राज्य सरकार एक मास की अवधि के भीतर जांच पूरी करेगी और दो मास के भीतर उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

(16) यदि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है, सरकार यथोचित जांच के बाद ऐसी अवधि के लिए नियुक्ति को निलंबित कर सकती है।

89. बालकों से ब्यौहार कर रहे कार्मिकों का प्रशिक्षण.—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए और कर्मचारीवृद्ध के प्रत्येक प्रवर्ग के कार्मिकों को उनके कानूनी उत्तरदायित्वों और विनिर्दिष्ट: कार्य अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण देगी।

(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

- अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की प्रस्तावना;
- बाल कल्याण, देखरेख, संरक्षण और बाल अधिकार पर अभिविन्यास;
- नए भर्ती किए गए कार्मिकों को प्रतिस्थापना प्रशिक्षण;
- पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कौशल उन्नयन कार्यक्रम, प्रलेखाकरण और अच्छी पद्धतियों की साझेदारी; और